

भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जनवरी, 2007

संख्या का०आ० 3/ह०अ० 12/1999/घा० 24/2007.—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 24 की उप धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये प्रथम अप्रैल, 2007 से लागू होंगे।
2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ड) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—  
“(डड) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्राय है, विशेष प्रयोजन के लिए प्रमाण-पत्र रजिस्टर करने या जारी करने के लिए तत्समय लागू किसी विधि के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राधिकारी;”।
3. उक्त नियमों में, “निदेशक प्राथमिक शिक्षा” तथा “जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी” शब्द तथा चिह्न, जहाँ कहीं भी आए, के स्थान पर क्रमशः “निदेशक मौलिक शिक्षा” तथा “अपर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी”, शब्द तथा चिह्न, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“3 विद्यालयों में शिक्षा का विनियमन। धाराएं 3 तथा 24 (2) (क).—(1) राज्य में कोई भी विद्यालय निदेशक के पूर्व अनुमोदन तथा अनुज्ञा के बिना कार्य, स्थापित या कक्षाएं चालू नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या फर्म या सोसाइटी या न्यास या कम्पनी द्वारा स्थापित प्रत्येक विद्यालय नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुसरण करेगा। इन नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध विद्यालय प्रबंधक की तरफ से कोई कार्य या अवज्ञा उसे निम्न प्रकार से दायी बनाएगी,—

- (i) ऐसे विद्यालयों को कार्य करने से बन्द करने के लिए;
- (ii) विद्यार्थियों के जीवन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा यदि ऐसी अवज्ञा या कार्य खतरे का हेतुक है या खतरे का कारण बनता है तो सुसंगत विधि के अधीन अभियोजित किए जाने के लिए ;

(iii) प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए प्राईमरी विद्यालयों की दशा में 15,000 रुपये, मिडिल विद्यालयों की दशा में 20,000 रुपये तथा सैकेण्डरी तथा वरिष्ठ सैकेण्डरी विद्यालयों की दशा में 25,000 रुपये से अनधिक शास्ति के अधिरोपण के लिए ;

(2) उपधारा (1) में ऐसी कोई कार्यवाही करने से पूर्व प्रबंधक को 15 दिन का नोटिस, उपर्युक्त नोटिस के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होने पर तथा निजी सुनवाई देने के बाद, यदि आवश्यक होगा, निदेशक इन नियमों के अधीन प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 4 में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

- “(vi) लड़कों का विद्यालय अर्थात्, विद्यालय जिसमें प्रवेश लड़कों के लिये खुला हो;
- (vii) कन्या विद्यालय अर्थात्, विद्यालय जिसमें केवल लड़कियों के लिये प्रवेश हो;
- (viii) सह-शिक्षा विद्यालय अर्थात्, विद्यालय जिसमें लड़कों तथा लड़कियों के लिये बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकते हैं तथा अध्ययन के एक जैसे पाठ्यक्रम हो ग्रहण कर सकते हैं।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“5 शिक्षा का माध्यम। धाराएं 3 तथा 24 (2) (क).—सभी विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम में हिन्दी को अधिमान दिया जायेगा तथापि संस्था को समुचित प्राधिकारी को सूचना के अधीन शिक्षा का अन्य माध्यम अपनाने की स्वतंत्रता होगी।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 29 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या फर्म या सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2), के अधीन सृजित न्यास या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), के अधीन पंजीकृत कंपनी जो ऐसे विद्यालय स्थापित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए वह निदेशक के पक्ष में प्रक्रिया फीस के रूप में प्राथमिक विद्यालय के लिए 1,000/- रुपये, मिडिल विद्यालय के लिए 2,500/- रुपये, उच्च विद्यालय के लिए 5,000/- रुपये तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए 10,000/- रुपये के मांग ड्राफ्ट के साथ प्रारूप-I में समुचित प्राधिकारी को आवेदन करेगा।”;

(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(छ) कर्मचारीवृन्द का प्रस्तावित वेतन अधिसूचित किया जायेगा। यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत वेतणियों के लिए श्रम विभाग द्वारा तथा शिक्षा विभाग/उपायुक्त द्वारा अध्यापन कर्मचारीवृन्द के लिए विनिर्दिष्ट कोई न्यूनतम वेतन मापदण्ड अधिसूचित किया जाता है, तो इस प्रकार अधिसूचित वेतन राज्य की न्यूनतम मजदूरी नीति से कम न होगा;”;

(iii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(4) नया विद्यालय स्थापित करने की अनुमति समुचित प्राधिकारी द्वारा नियत की गई तिथि से प्रभावी होगी तथा सामान्यतया यह अनुमति आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रारम्भ की तिथि से प्रदान की जायेगी। अनुमति केवल दो शैक्षणिक सत्रों के लिये मान्य होगी।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 30 में,—

I. उप-नियम (1) में,—

(अ) खण्ड (क) में—

(i) उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“(i) विद्यालय जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या फर्म या सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2), के अधीन सृजित न्यास या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), के अधीन पंजीकृत कंपनी द्वारा चलाया जाता है तथा हरियाणा राज्य में प्रचालन के क्षेत्र के संबंध में समुचित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ इन नियमों के अधीन बनाई गई प्रबंधन स्कीम के अनुसार प्रबंध किया जाता है;”;

(ii) उप-खण्ड (x) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(x) कि प्रबंध समिति ने विद्यालय भवन की भूमि के साथ-साथ व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या सोसाइटी या फर्म या न्यास या कंपनी के नाम से खेल के मैदान के स्वामी विलेख राजस्व विभाग से प्राप्त करके प्रस्तुत कर दिया है। यदि भूमि एक टुकड़े से अधिक हो, भूमि का सिजरा जो सम्बन्धित तहसीलदार

या उप-मण्डल मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो कि भूमि के टुकड़े एक दूसरे के निकट हैं, यदि एक स्थान पर न हो तो भवन/टुकड़े के बीच की दूरी विनिर्दिष्ट की जाये;”।

(iii) उप-खण्ड (xix) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(xix) कि विद्यालय में स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था है तथा उन्हें सही व्यवस्था में रखा जाता है। स्वच्छता प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।”।

(iv) खण्ड (xxvii) में, अन्त में विद्यमान “।”, चिह्न के स्थान पर, “;” चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(v) उप-खण्ड (xxvii) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

“(xxviii) कि विद्यालय हरियाणा राज्य में आवासीय भवनों या विद्यालय के लिये भवन चिन्हित नहीं है में नहीं चलाया जायेगा ;

(xxix) कि अग्नि शमन प्रमाण-पत्र स्थानीय अग्नि शमन प्राधिकारी से प्राप्त किया जायेगा ;

(xxx) कि विद्यालय मोडम तथा इन्टरनेट सहयोजन सहित कम से कम एक कम्प्यूटर की व्यवस्था करेंगे।” ;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ख) भूमि तथा भवन के लिए न्यूनतम मानक,—

(i) भूमि

| विद्यालय        | ग्रामीण/शहरी/नियंत्रित क्षेत्र |
|-----------------|--------------------------------|
| प्राईमरी        | 0.5 एकड़                       |
| मिडल            | 1.0 एकड़                       |
| माध्यमिक        | 2.0 एकड़                       |
| वरिष्ठ माध्यमिक | 2.0 एकड़                       |

परन्तु हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के प्रारम्भ से पहले

मान्यता-प्राप्त/अमान्यता-प्राप्त चल रहे विद्यालयों के लिए भूमि के मानक निम्न प्रकार से होंगे :—

| विद्यालय                       | ग्रामीण/शहरी/नियंत्रित क्षेत्र (एक मंजिला भवन के लिए) | ग्रामीण/शहरी/नियंत्रित क्षेत्र (दो मंजिला भवन के लिए) |
|--------------------------------|---|---|
| प्राइमरी                       | 500 वर्ग मीटर   | 350 वर्ग मीटर   |
| मिडल                           | 800 वर्ग मीटर   | 600 वर्ग मीटर   |
| माध्यमिक                       | 2000 वर्ग मीटर  | 1500 वर्ग मीटर  |
| वरिष्ठ माध्यमिक                |   |   |
| (i) (कला तथा वाणिज्य)          | 3000 वर्ग मीटर  | 2250 वर्ग मीटर  |
| (ii) (कला/वाणिज्य तथा विज्ञान) | 4000 वर्ग मीटर  | 3000 वर्ग मीटर  |

उपरोक्त के अतिरिक्त ये विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 500 मीटर की परिधि में पर्याप्त खेल के मैदान का प्रबंध या व्यवस्था करेंगे।

आच्छादित तथा खुला क्षेत्र 35/65 प्रतिशत के अनुपात में होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में वर्णित विद्यालय इन मानकों के अनुसार स्तर तक चलते रहेंगे, किन्तु यदि वे उच्च कक्षाएं जोड़ने या शुरु करने या विद्यालय का स्तर बढ़ाने या भवन बदलने या नाम बदलने के इच्छुक हों, उन्हें नये विद्यालय की स्थापना के लिए अपेक्षित मानकों के अनुसार भूमि तथा भवन को पूरा तथा की व्यवस्था करनी होगी।

**टिप्पणी—**प्राइवेट विद्यालय, कम से कम बीस वर्ष की अवधि अप्रवर्तनीय पट्टाविलेख के साथ पट्टाधृति आधार पर किराये पर लिये गये भवन/भूमि में चलाया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा विद्यालय इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भूमि तथा भवन के मानक पूरे करता हो;

**(ii) भवन**

(क) कक्षा कक्ष : न्यूनतम आकार—24' x 18' या समकक्ष क्षेत्र। कक्षा कक्ष : की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होगी :

परन्तु जो विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के प्रारम्भ से पहले मान्यता-प्राप्त/अमान्यता-प्राप्त

के रूप में चल रहा है, उसको कक्षा कक्ष का न्यूनतम आकार प्रति छात्र सकल क्षेत्र प्रति वर्ग फुट/आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा।

(ख) कक्षा कक्षों की संख्या विद्यालय में अनुभागों की संख्या के बराबर होगी। कक्षा कक्ष : में दो दरवाजे, खिड़कियों की अपेक्षित संख्या तथा उचित वायुसंचार होगा;

(ग) अनुभाग में विद्यार्थियों की संख्या पचास से अधिक नहीं होगी। आगे यह भी शर्त होगी कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 वर्ग फुट प्रति छात्र तथा प्राथमिक स्तर/नर्सरी स्तर के लिए 9 वर्ग फुट प्रति छात्र के आधार पर संगठित विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी।

(घ) बरामदा

प्रत्येक कक्षा कक्ष : के साथ एक बरामदा होगा :

8 फुट चौड़ा सिंगल लोडिड ;

10 फुट चौड़ा डब्ल लोडिड के लिए :

परन्तु हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के प्रारम्भ से पहले मान्यता-प्राप्त/अमान्यता-प्राप्त के रूप में चल रहे विद्यालय के लिए मानक निम्न अनुसार होगा :—

6 फुट चौड़ा सिंगल लोडिड ;

8 फुट चौड़ा डब्ल लोडिड के लिए ;

(ड) विद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा :—

\* प्रसाधन तथा पेशाब घर (स्टाफ, लड़कों तथा लड़कियों के लिये उचित दूरी पर)। प्रत्येक 200 विद्यार्थियों के बाद अतिरिक्त प्रसाधन जोड़ने होंगे।

\* बिजली की सुविधा

\* पीने के पानी की सुविधा

\* चार दीवारी

\* प्रातः कालीन सभा के लिए उचित स्थान

(घ) मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दशा में कक्षा कक्षों के अतिरिक्त निम्नलिखित कक्षों का प्रबंध करना होगा :—

- \* विद्यालय के मुखिया के लिए कक्ष
- \* कार्यालय कक्ष :
- \* स्टाफ कक्ष :
- \* पुस्कालय कक्ष :
- \* व्यवहारिक विषय के लिए प्रयोगशाला (स्ट्रीम/प्रत्येक विषय के अनुसार)
- \* कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए एक कक्ष:। विद्यालय में कर्मचारियों तथा विद्यालय प्रबंधन प्रयोजन के लिए मोडम तथा इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम से कम एक कम्प्यूटर होगा।

(छ) प्रत्येक विद्यालय में कुर्सी की सतह पर एक रैम्प की व्यवस्था होगी।

(ज) विद्यालय भवन एक से अधिक मंजिला होने पर कम से कम 6 फुट चौड़ा एक रैम्प तथा एक सीढ़ी की व्यवस्था होगी :

परन्तु हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, के प्रारम्भ से पहले चल रहे विद्यालय की सीढ़ी तथा रैम्प का मानदण्ड निम्न अनुसार होगा।

|                       |  |
|-----------------------|--|
| सीढ़ी : 4.6 फुट चौड़ी | प्रत्येक 40 फुट की दूरी पर अतिरिक्त सीढ़ियां   |
| रैम्प : 6 फुट चौड़ा   | यदि विद्यालय रैम्प उपलब्ध नहीं करता है तो उन्हें विकलांग विद्यार्थियों के लिए कक्षा का प्रबंध भूतल पर करना होगा। |

समुचित प्राधिकारी 10 प्रतिशत तक भूमि तथा भवन के आकार में ढील देने के लिए सक्षम होगा तथा थोड़ा परिवर्तन भी अनुज्ञात कर सकता है जो विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा; ” ;

II. उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) कम से कम कर्मचारियों को छह मास के मूल वेतन के बराबर धरोहर धन/ बैंक प्रतिभू, किन्तु किसी भी मामले में नीचे यथा वर्णित राशि से कम न हो, सम्बद्ध निदेशक विद्यालय शिक्षा (पदनाम द्वारा) के नाम से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा या बैंक प्रतिभू के रूप में जमा करवाएगा :—

| स्तर            | कक्षा  | रुपये    |
|-----------------|--------|----------|
| प्राथमिक        | I-V    | 50,000   |
| मिडल            | I-VIII | 1,00,000 |
| माध्यमिक        | I-X    | 1,50,000 |
| वरिष्ठ माध्यमिक | I-XII  | 2,00,000 |

धरोहर धन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में या विद्यालय के किन्हीं आकस्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।” ;

III. उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(4) मान्यता के लिए उपयोजित किए गए विद्यालय के लेखे विभाग द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे। विभाग विद्यालय की मान्यता के लिए लेखा परीक्षा संप्रेषण पर विचार करेगा।”

9. उक्त नियमों में, नियम 31 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) मान्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय समुचित प्राधिकारी को निदेशक के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के रूप में यथा प्रसंस्करण फीस जो प्राथमिक विद्यालयों के लिये 1,000/- रुपये, मिडल विद्यालय के लिये 2,500/- रुपये, उच्च विद्यालय के लिये 5,000 रुपये तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिये 10,000/- रुपये के साथ प्रारूप-II में आवेदन करेगा। आवेदन नीचे दिए गए समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से समर्थित होगा। ऐसा आवेदन शैक्षिक स्तर शुरू होने से 6 महीने पहले अर्थात् गत वर्ष की 30 सितम्बर से पहले समुचित प्राधिकारी को या तो किसी व्यक्ति के द्वारा



सौंपा जायेगा या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा। मान्यता प्रदान करने वाला समुचित प्राधिकारी गत वर्ष की 30 दिसम्बर तक प्रबंध समिति को सूचित करेगा।

**प्रमाण पत्र जारी करने वाले समुचित प्राधिकारी**

| क्रम संख्या | मद  | प्राधिकारी  |
|-------------|---|---|
| 1.          | भूमि का स्वामित्व                         | सब डिविजनल मजिस्ट्रेट   |
| 2.          | भवन का निर्माण                            | जिला योजनाकार/नगरपालिका/नामिकसूची वास्तुकार (आर्किटेक्ट)                      |
| 3.          | भवन की सुरक्षा                            | लोक निर्माण विभाग/नगर पालिका/पंजीकृत इन्जीनियर/नामिकसूची इन्जीनियर            |
| 4.          | अग्नि सुरक्षा                             | अग्नि अधिकारी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राप्त ऐजेंसी |
| 5.          | स्वच्छता                                  | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नामिकसूची चिकित्सा अधिकारी   |
| 6.          | भूमि उपयोग का संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र | नगरपालिका क्षेत्र: नगरपालिका/नगरपरिषद्/स्थानीय प्राधिकरण।                     |

नगरपालिका क्षेत्र सम्बद्ध विधियों के अधीन से बाहर जैसे, शहरी यथा अधिसूचित।";  
क्षेत्र/नियंत्रित क्षेत्र/  
ग्रामीण क्षेत्र:

(ii) उप-नियम 2, का लोप कर दिया जायेगा।

(iii) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(3) यदि मान्यता अस्वीकृत की जाती है तो प्रबंधन समिति नियम 192 में यथा अधिकथित अपील की फीस सहित ऐसी अस्वीकृति की संसूचना की तिथि से तीस दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी को इसके विरुद्ध अपील दायर कर सकती है। अपीली प्राधिकारी मामले का निर्णय करेगा तथा दो महीने के भीतर प्रबंधन समिति को सूचित करेगा। अपीली प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।”।

10. उक्त नियमों में, नियम 32 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) यदि विद्यालय प्राधिकारी एक से अधिक संस्था चला रहा है तो उक्त प्राधिकारी इन नियमों के अधीन प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग से प्रबंधन समिति का गठन करेगा।”;

(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह है कि जहां सदस्यों की संख्या 50 से कम है वहां सोसाइटी या फर्म चुनाव की तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले डाक प्रमाणपत्र के अधीन पत्र के माध्यम से निर्वाचन नोटिस भेज सकती है।”।

(iii) उप-नियम (3) में, “विद्यमान विद्यालय” शब्दों के बाद, “विद्यालयों सहित जहां प्रशासक धारा 10 के अधीन नियुक्त किया गया है” शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उप-नियम (4) अन्त में, के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(5) (i) जहां धारा 10 के अधीन प्रशासक नियुक्त किया गया है, वहां प्रशासक का कर्तव्य है कि वह धारा 10 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रबंधन समिति का गठन करे। प्रशासक इन नियमों में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार चुनाव करने के संबंध में सोसाइटी के सदस्यों को नोटिस जारी करेगा।

(ii) यदि प्रशासक प्रबंधन समिति गठित करने में असफल रहता है तो वह निदेशक को प्रशासक की समय अवधि समाप्त होने से पहले स्थिति से अवगत करायेगा। निदेशक प्रबंधन समिति का गठन करने या प्रशासक को अगले एक वर्ष जारी रखने बारे समुचित निर्णय लेगा।

(iii) किसी भी दशा में प्रशासक 3 वर्ष के बाद नहीं रहेगा।”।

11. उक्त नियमों में, नियम 33 में,—

उप-नियम (3) के बाद अन्त में निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(4) बोर्ड से सम्बद्धता के लिए विद्यालय को प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन० ओ० सी०) समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की गई तिथि से

प्रभावी होगा तथा सामान्यतया अनापत्ति प्रमाण पत्र आगामी शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से दिया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र दो शैक्षिक सत्र के भीतर उपयोग न किये जाने पर समाप्त समझा जायेगा, समुचित प्राधिकारी से विद्यालय द्वारा नया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उसी स्तर तक लागू होगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है तथा किसी भी स्थिति में किसी अन्य स्तर के लिए सम्बद्ध बोर्ड द्वारा स्वीकार्य नहीं जाएगा।”।

12. उक्त नियमों में, नियम 34 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड I-V तथा I-VIII के सामने, “समुचित प्राधिकारी”, शीर्ष के नीचे, दो बार विद्यमान “जिला शिक्षा अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “निदेशक मौलिक शिक्षा” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) मान्यता के लिए प्राइवेट विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए निदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा यथा गठित एक समिति होगी। ”

(iii) उप-नियम (4) में, टिप्पण 3 के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(5) जो विद्यालय पहले से ही 10+2 स्तर के लिए मान्यता प्राप्त किया गया है तथा यदि वाणिज्य तथा विज्ञान की नयी स्ट्रीम चालू करने का इच्छुक हो, वह निदेशक को परूप-II में आवेदन करेगा। निम्नलिखित सदस्यों को मिला कर नयी स्ट्रीम को प्रारम्भ करने हेतु मामले की प्रक्रिया तथा सिफारिशों के लिए एक समिति होगी अर्थात् :—

|   |         |
|---|---------|
| (i) संयुक्त निदेशक                        | अध्यक्ष |
| (ii) जिला शिक्षा अधिकारी                  | सदस्य   |
| (iii) मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सदस्य | सदस्य   |

समिति सम्बन्धित विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट एक मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।”

13. उक्त नियमों में, नियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“38. विद्यमान मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा समुचित प्राधिकारियों को आवेदन करना।

धाराएं 3 तथा 24 (2) (क), (ख) तथा (घ).—(1) सभी विद्यमान मान्यता प्राप्त विद्यालय में इन संशोधित नियमों के प्रारम्भ होने से तीन मास की अवधि के भीतर निदेशक के पक्ष में प्राथमिक/मिडल विद्यालय के लिए 1000/- रुपये तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2000/- रुपये के मांग ड्राफ्ट सहित मान्यता प्राप्त करने के लिए विहित प्ररूप ॥ में आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक विद्यालय इसकी अब संरचना में सुधार करने के लिए अपनी योजना जहां इन नियमों के उपबंधों को पूरा नहीं करता एक वर्ष की अवधि के समय विस्तार में आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा जहां प्रत्येक छः मास के लिए विशेष मील पत्थर नियत किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक विद्यमान मान्यता-प्राप्त विद्यालय या विद्यालयों जो पहले ही विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अन्यथा किसी भी बोर्ड या भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् से सम्बद्ध हैं, वे सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) प्राप्त करने के बाद धारा 4 के अधीन मान्यता प्राप्त समझा जाएगा और अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अधीन होंगे :

परन्तु ऐसे विद्यालयों के कक्षा कमरों के आकार तथा कक्षा कमरों की संख्या तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए मानक वही होंगे जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, के प्रारम्भ होने से पहले राज्य में चल रहे अमान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विहित किए गए थे।

- (3) विभाग ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया के लिए निदेशक द्वारा चयनित किए जाने वाले दो सदस्यों, सम्बंधित जिले के स्थानीय प्रतिष्ठित मान्यता-प्राप्त विद्यालय से और एक विभाग के नामांकित को शामिल करते हुए प्रत्येक जिले के लिए एक समिति गठित करेगा।”

14. उक्त नियमों में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा.

अर्थात् :—

“42. अन्य मामलों में मान्यता की समाप्ति। धाराएं 3 तथा 24 (2) (क) (ख) तथा (घ).—(1) समुचित प्राधिकारी प्रबंधन समिति को सीधे तौर पर या प्रधानाचार्य/संस्था के मुखिया के माध्यम से अधिनियमों/नियमों या उनके अधीन जारी किए निर्देशों से असंगत लोप या करणत्रुटि का ध्यान दिलाते हुए, लिखित नोटिस देने के बाद विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले सकता है।

(2) विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त समझी जाएगी, यदि -

(क) अस्तित्व में न होना ; या

(ख) जहां मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) दो शैक्षिक सत्रों में उपयोग न की गई हो ; या

(ग) समुचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना—

(i) भिन्न भवन या परिक्षेत्र में स्थानान्तरित हो गया ;

(ii) प्रबंधन समिति या न्यास या व्यक्ति या व्यक्ति-संगम या कम्पनी में स्थानान्तरित हो गया है ;

(iii) अपना नाम बदल देता है ;

(घ) जहां दो या दो से अधिक विद्यालय एक भवन/परिसर में दो भिन्न बोर्डों/परिषदों से सम्बद्ध चल रहे हों;

(ङ) इन नियमों में विनिर्दिष्ट मान्यता की एक या अधिक शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) पहले ही मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा खोली गई शाखाएं मान्यता के प्रयोजन के लिए नये विद्यालयों के रूप में समझी जाएंगी अर्थात् किसी भी प्रबंधन समिति को उसी भवन/परिसर में दो भिन्न बोर्डों/परिषदों से सम्बद्ध दो विद्यालयों को चलाना अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) यदि विद्यालय प्राधिकरण समुचित प्राधिकारी को ऐसे नोटिस की तामील की तिथि से तीस दिन के भीतर चूक को दूर करने में असफल रहता है तो मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त हो जाएगा।

(5) ऊपर उप-नियम (2) (ग) में निर्दिष्ट किए गए विद्यालय समुचित प्राधिकारी को दस्तावेज जैसे प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, भूमि का स्वामित्व, अनुमोदित नक्शा तथा परिणामी किसी के देयता/विवाद सम्बन्धी वचनबद्धता के साथ आवेदन करेगा।

(6) (क) प्रसंस्करण छानबीन तथा सिफारिश के लिए निम्न सदस्यों को मिला कर एक कमेटी का गठन किया जायेगा, अर्थात् :—

|   |         |
|---|---------|
| (i) संयुक्त निदेशक                      | अध्यक्ष |
| (ii) जिला शिक्षा अधिकारी                | सदस्य   |
| (iii) मान्यता प्राप्त विद्यालय का सदस्य | सदस्य   |

(ख) कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा सम्बद्ध विद्यालय का दौरा करेगी तथा सिफारिशें करने के लिए किसी संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण/मांग कर सकती।”।

15. उक्त नियम में, नियम 43 में,—

- I. उप-नियम (i) में, “मान्यता”, शब्द जहां कहीं भी आये के बाद “/एन०ओ०सी०” चिन्ह और अक्षर जोड़ दिए जाएंगे;
- II. उप-नियम (i) में, खण्ड (ख) में तीसरी तथा चौथी पंक्ति में, “समुचित प्राधिकारी असहयोग देता है”, शब्दों के स्थान पर, “समुचित प्राधिकारी को असहयोग देता है या नैतिक अधमता इत्यादि करता है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- III. उप-नियम (2) तथा (3) में, “मान्यता”, शब्द के बाद “/एन०ओ०सी०” चिन्ह और अक्षर जोड़ दिए जाएंगे;
- IV. उप-नियम (4) में,
  - (i) “मान्यता”, शब्द के बाद “/एन०ओ०सी०” चिन्ह और अक्षर जोड़ दिए जाएंगे;
  - (ii) अन्त में, नियम 192 में यथा अधिकथित फीस “निदेशक के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जाएगी” शब्द, चिन्ह तथा अंक जोड़ दिए जाएंगे।

16. नियम 44 में, “मान्यता”, शब्द के बाद “/एन०ओ०सी०” चिन्ह तथा अक्षर जोड़ दिए जाएंगे;

17. उक्त नियमों में, नियम 45 में,—

- (i) उप-नियम (1) में, “मान्यता”, शब्द के बाद “/अनापत्ति प्रमाणपत्र” चिन्ह तथा अक्षर जोड़ दिए जाएंगे।
- (ii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) प्रत्येक ऐसी अपील ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित में की जाएगी तथा उसके साथ नये विद्यालय की स्थापना या मान्यता/अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की अस्वीकृति या मान्यता/अनापत्ति प्रमाणपत्र की वापसी के लिए कारणों की एक प्रति जोड़ी जाएगी। अपील में यथा अधिकथित फीस नियम 192 ‘निदेशक’ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जाएगी।”;

(iii) उप-नियम (3) में, ‘मान्यता’ शब्द के बाद ‘/अनापत्ति प्रमाणपत्र’ विन्ह तथा अक्षर जोड़ दिये जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, नियम 55, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(4) अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा अधिमानतः वास्तविक आधार पर चार किस्तों में जारी किया जायेगा। पहली किस्त अस्थायी आधार पर पिछले वर्ष की जारी की गई वास्तविक अनुदान राशि के आधार पर दी जायेगी। हिताधिकारी विद्यालय को भुगतान के दावे को सत्यापित करने के बाद, निदेशक के प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्बद्ध विद्यालय की अनुमोदित प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ‘विद्यालय स्टाफ लेखा’ के पक्ष में तिमाही चैक द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामलों से सम्बंधित सम्बद्ध शाखा द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

(5) वेतन अनुदान के द्वारा मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के (डी०सी०आर०जी०) दावा करने की वर्तमान प्रणाली बन्द कर दी जाएगी। प्रबंध समिति हिताधिकारी को निदेशक से स्वीकृति की प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का भुगतान करेगी। प्रबंध समिति उसी वर्ष में अपना दावा (75 प्रतिशत सरकारी हिस्सा) प्रस्तुत करेगी। निदेशक दावा की प्राप्ति से आगामी तिमाही या वर्ष में प्रबंध समिति को दावे की प्रतिपूर्ति करेगा।”।

19. उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“59. अलाभकारी छोटी क्षेणी के अध्यापकों को अनुदान-म देना। धाराएं 24 (2) (क) (ख) तथा (घ).—कोई भी अनुदान समय-समय पर निदेशक द्वारा यथा नियत मानकों से कम विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात के आधार पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा अधिशेष पाए गये अध्यापकों के लिए, प्रबंध समिति को युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, प्रबंध समिति को अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) पदों का यौक्तिकीकरण प्रत्येक पांच साल के बाद किया जाएगा।

(3) निदेशक आवश्यकता के अनुसार राज्य में उस जिले में या जिला से बाहर अन्य विद्यालय में अधिशेष का अन्तरण करने के लिए सक्षम है।”

20. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(3) उप-नियम (2) में यथा अधिकथित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त प्रबंध समिति विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के दावों को तैयार करने के प्रस्ताव सहित निदेशक को अपने विद्यालय की असहायता करने के लिए आवेदन करेगी। निदेशक नियम के अनुसार आवेदन सत्यापित करने के उपरान्त विद्यालय की असहायता करने के आदेश पारित करेगा। यदि निर्णय निदेशक द्वारा छह मास की अवधि के भीतर प्रबंध समिति को सूचित नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि असहायता हो गया है। विद्यालय का सहायता अनुदान आवेदन की तिथि या प्रबंध समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किसी तिथि से बन्द हो जायेगा।”।

21. उक्त नियमों में, नियम 64 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(3) “विद्यालय स्टाफ का खाता” निदेशक के प्राधिकृत अधिकारी तथा विद्यालय के प्रबंध या मुखिया द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय के मुखिया के रूप में कार्य करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा प्राधिकृत अमला के किसी सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। विद्यालय के प्रबंधक समिति “अमला देतन खाता” बन्द करने के लिए सक्षम नहीं होगी।”।

22. उक्त नियम में, नियम 74 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(74) (क) कार्योत्तर अनुमोदन। धारा 24 (2) तथा 8.—निदेशक भर्ती की प्रक्रिया में कार्योत्तर अनुमोदन या छूट देने के लिए निदेशक सक्षम होगा।”।

23. उक्त नियमों में, नियम 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(75) समुचित अधिकारी को सूचना। धारा 24 (2) तथा 8.—जब कभी भी विद्यालय के प्रधान या अध्यापक को पदच्युति करना या उसके किसी अन्य कारण से रिक्ति उत्पन्न होती है और प्रबंध समिति उस रिक्ति को भरने के लिए विज्ञापन जारी करती है, तो इस आशय की सूचना समुचित प्राधिकारी को भी देनी होगी। प्रबंध समिति अस्वीकृत पद पर विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के चयन में पहले अधिमान दे सकती है जहां चयन प्रक्रिया पहले ही नियमों के अधीन अपनाई गई है।”।



24. उक्त नियमों में, नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“82. न्यूनतम योग्यताएं। धारा 24 (2) तथा 8.—(1) सहायता प्राप्त विद्यालय में विद्यालय के मुखिया और अध्यापकों के अन्य प्रवर्गों तथा गैर शिक्षण अमले की नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता परिशिष्ट क के अनुसार होंगी। ये नियुक्तियां कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी) में विज्ञापन के द्वारा की जायेंगी।

(2) प्रबंध समिति पद के लिए विहित योग्यता की अपेक्षा उच्चतर योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। विभाग केवल इन नियमों के परिशिष्ट क के खाना में यथा विनिर्दिष्ट पद के वेतनमान के लिए वेतन अनुदान का भुगतान करेगा। उच्चतर योग्यताओं के कारण अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।”।

25. उक्त नियमों में, नियम 83 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) इन कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर ऐसी होगी जो विभाग द्वारा समय-समय पर सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए अनुज्ञात की जाये।”।

26. उक्त नियमों में, नियम 93 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट नियोजन नहीं करेगा।”।

27. उक्त नियमों में, नियम 103 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्न उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) उप नियम (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अध्यापक या विद्यालय का मुखिया अध्यापक, विद्यालय के मुखिया के रूप में प्रशंसनीय सेवा करने के लिए राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है या जहां उसने राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ऐसे अध्यापक की सेवा की अवधि दो वर्ष या राज्य पॉलिसी के अनुसार ऐसी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। किसी भी दशा में कर्मचारी साठ वर्ष से ऊपर कार्यरत नहीं होगा। कोई भी कर्मचारी ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान पदोन्नति का हकदार नहीं होगा। प्रबंध समिति विशेष प्रस्ताव सहित ऐसी बढ़ोतरी के लिए मामला निदेशक को भेजेगी। निदेशक ऐसी बढ़ोतरी प्रदान करने के लिए सक्षम है।”।

28. उक्त नियमों में, नियम 105 में, उप-नियम (5) के बाद, निम्न उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(6) निलम्बन के दौरान कर्मचारी का त्यागपत्र निलम्बन का अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व स्वीकृत नहीं किया जायेगा।”।

29. उक्त नियमों में, नियम 108 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“108 क. अनिवार्य सेवा निवृत्ति। धारा 8 तथा 24.—(1) यदि प्रबंध समिति की राय है कि किसी कर्मचारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए सेवा निवृत्त करना लोकहित में है, तो उसे सम्बद्ध कर्मचारी को लिखित में कम से कम तीन मास का पूर्व नोटिस देते हुए तिथि जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करता है या उसके बाद नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी अन्य तिथि को उसे सेवानिवृत्त करने का अधिकार होगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन की गई कर्मचारी की सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा अपस्त की जाती है, तो उसके अनुषांगिक सभी धन सम्बंधी दायित्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से उसके पुनः पद ग्रहण की तिथि तक प्रबंध समिति के जिम्मे पड़ेंगे।”।

30. उक्त नियमों में, नियम 110 में, खण्ड (घ) में, उप-खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(iii) कर्मचारी द्वारा किया गया प्रतिवेदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर अनुशासन प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि कर्मचारी पर कौन सी शास्ति, यदि कोई है, अधिरोपित की जाएगी, उसको अपना अन्तिम निर्णय संसूचित करने से पूर्व अनुमोदन के लिए समुचित प्राधिकारी को इसे निर्दिष्ट करेगा। समुचित प्राधिकारी अपने निर्णय की स्वीकृति/अस्वीकृति तीस दिन के अन्दर प्रबंध समिति को देगा। यदि कोई निर्णय ऐसी अवधि में नहीं होता है, तो यह स्वीकृति के रूप में मानी जायेगी। प्रबंध समिति इसके बाद समुचित प्राधिकारी को प्रति सहित कर्मचारी को अपना अन्तिम निर्णय संसूचित करेगी।”।

31. उक्त नियमों में, नियम 111 में,—

(i) उपांतिक शीर्ष में, “प्रस्तावित” शब्द का लोप कर दिया जायेगा ;

(ii) खण्ड (घ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जायेंगे, अर्थात् :—

“(छ) अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील ग्रहण कर सकता है यदि पर्याप्त कारण से उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से रोका गया था। जहां कोई अपील खण्ड (क) तथा (घ) के अधीन की जाती है, वहां प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, सुसंगत आदेश को प्रवर्तन करने से रोक सकता है।

(ज) निदेशक स्वयं या व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि वह समझता है कि तथ्यों के कुछ प्रश्न उसके विचार या किसी सारवान् तथ्य की अनभिज्ञता से रह गए थे या अभिलेख को देखने से ही कोई भूल प्रकट हो गई थी, तो वह अपने स्वयं के निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है या नए आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।”।

32. उक्त नियमों में, नियम 114 में,—

(i) अन्त में विद्यमान “।” चिन्ह के स्थान पर, “;” चिन्ह प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु कर्मचारी/सेवानिवृत्ति, जिसने अब तक विकल्प नहीं दिया है, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिन के भीतर निदेशक द्वारा यथा परीक्षित विद्यमान दर पर ब्याज सहित निधि में अंशदान जमा करने के लिए नया विकल्प दे सकता है।”।

33. उक्त नियमों में, नियम 126 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“126. सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंध समिति को ग्रहण करने की शक्ति।  
धाराएं 24 (2) तथा 10.—जहां सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंध समिति के अनुसार ग्रहण की जाती है वहां वेतन, उपदान, पेंशन इत्यादि (केवल सरकारी हिस्सा) के सम्बंध में सहायता प्राप्त अनुदान प्रशासक के माध्यम से जुटाया जाएगा। प्रशासक नियम 64 में यथा निर्दिष्ट ‘अमला वेतन खाता’ संचालित करेगा। प्रशासक अग्रिम में वेतन के भुगतान के लिए निदेशक को अपनी मांग प्रस्तुत करेगा। अग्रिम विद्यालय को भुगतान योग्य वेतन खाते के माध्यम से समायोजित/प्राप्त किया जायेगा। अमले के वेतन (सरकारी हिस्सा) का दायित्व धारा 10 के अधीन विद्यालय के प्रबंधन को ग्रहण करने की तिथि से होगा। जैसे कि यह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने तथा कृत्य के लिए काम चलाऊ व्यवस्था हैं, इसलिए, अमले के वेतन का भुगतान करने का उत्तरदायित्व वेतन के 75 प्रतिशत (सरकारी हिस्सा) की सीमा तक सीमित हैं। शेष 25 प्रतिशत (प्रबंधन हिस्सा) उसके पुनर्गठन पर प्रबंध समिति द्वारा भुगतान किया जाएगा :

परन्तु प्रशासक प्रबंध समिति से विद्यालय के भवन तथा उसके परिसरों का प्रभार लेगा तथा ऐसे भवन तथा उसके परिसरों से सभी आय उक्त विद्यालय की आय के रूप में ली जाएगी।”।

34. उक्त नियमों में, नियम 128 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) इस प्रवर्ग के अधीन अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने की इच्छुक अल्पसंख्यक विद्यालय की प्रबंध समिति, राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमाण-पत्र के साथ निदेशक को आवेदन करेगी। निदेशक विनिश्चय करेगा कि क्या यह उस अल्पसंख्यक प्रवर्ग के भीतर आती है तथा आदेश, जो वह उचित समझे, पारित करेगा।”।

35. उक्त नियमों में, नियम 131 में, उप-नियम (2) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।”, चिन्ह के स्थान पर, “;” चिन्ह प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु निदेशक प्रवेश की अधिकतम आयु में ढील देने के लिए सक्षम होगा।”।

36. उक्त नियमों में, नियम 134 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“134 क. गरीब गुणवान् छात्रों के लिए आरक्षण। धारा 24 (2) तथा 15.—मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय 25 प्रतिशत सीट गरीब गुणवान् छात्रों के लिए आरक्षित करेंगे। विद्यालय इन छात्रों से सरकारी विद्यालयों में यथा प्रभारित दर से फीस प्रभारित करेंगे। फीस की कमी की प्रतिपूर्ति अन्य छात्रों से प्रभारित की जाएगी।”।

37. उक्त नियमों में, नियम 136 में, उप-नियम (5) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।”, चिन्ह के स्थान पर, “;” चिन्ह प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व चल रहे अमान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र शैक्षणिक सत्र 2007-2008 के दौरान परीक्षा के आधार पर मान्यताप्राप्त विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे।”।

38. उक्त नियमों में, नियम 138 में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।”, चिन्ह के स्थान पर, “;” चिन्ह प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु निदेशक आपवादिक परिस्थितियों में प्रवेश में ढील देने के लिए सक्षम होगा।”।

39. उक्त नियमों में, नियम 158 में, उप-नियम (3) के बाद अन्त में, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात् :—

“(4) कोई भी विद्यालय शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अग्रिम में प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस, विद्यार्थी फण्ड लेने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। फिर भी वह सांकेतिक रजिस्ट्रेशन फीस ले सकता है।

(5) विद्यार्थी जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 15 दिनों के अन्दर एस० एल० सी० के लिए आवेदन किया है से विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र (एस० एल० सी०) के सिवाय प्रवेश फीस, दाखिला फीस, ट्यूशन फीस नहीं ले जायेगी।

(6) कक्षा पहली, छठी, नौवीं, ग्यारहवीं या विद्यालय में नया प्रवेश कि लिए दाखिले के समय पर किसी भी विद्यार्थी से केवल प्रवेश फीस ली जायेगी।

(7) फीस बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों से ली जानी अधिमानतः होगी।”।

40. उक्त नियमों में, नियम 159 में, उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(4) प्रबंध समिति द्वारा किसी प्रकार की ज्यादा फीस लेने या फण्ड का अनुचित प्रयोग करने की किसी शिकायत के मामले में, निदेशक उस विद्यालय के लेखों की जांच-पड़ताल करने के लिए सक्षम होगा तथा इस सम्बंध में उचित कारवाई करेगा।”।

41. उक्त नियमों में, नियम 160 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“160. छात्र निधियों का भाग। धाराएं 24 (2) तथा 17.—मान्यता प्राप्त विद्यालय समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेड क्रॉस फण्ड, शिशु कल्याण फण्ड तथा स्पोर्ट्स फण्ड के सिवाय विद्यार्थियों से कोई फण्ड नहीं लेगा। ये फण्ड संगृहित किए जाएंगे तथा निर्दिष्ट भाग प्रत्येक वर्ष को 30 सितम्बर से पूर्व सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवायेगा।”।

42. उक्त नियमों में, नियम 162 से 185 तक के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“162. सेवा शर्तें.—(1) मान्यताप्राप्त विद्यालय जैसे कि सहायता न पाने वाले पदों पर सहायता पाने वाले विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों सहित निजी वित्तीय स्कीम के अधीन विद्यालय चला रही प्रत्येक प्रबंध समिति निम्नलिखित के सम्बंध में अपने कर्मचारियों के नियम तथा विनियम बनायेगी :—

- (i) कर्मचारियों की सेवा शर्तें ;
- (ii) भर्ती करने की प्रक्रिया ;
- (iii) अध्यापकों के वेतन (राज्य की न्यूनतम मजदूरी पॉलिसी से कम न हो) ;
- (iv) सेवा लाभांश जैसे अमिदायी मविष्यनिधि, धिकित्सा, छुट्टी, वेतन वृद्धि इत्यादि ;
- (v) अध्यापकों तथा अध्यापनेतर अमला के लिए योग्यताएं (नियम के अनुबन्ध क के अधीन विहित से कम न हो) ;
- (vi) आचरण संहिता तथा शास्तियां ;
- (vii) अनुशासनिक समिति का गठन इत्यादि ;
- (viii) बैंक/बैंक के माध्यम से अमला का वेतन देना।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियम तथा विनियम की प्रतियां मान्यता के लिए आवेदन के समय पर विभाग को देनी होंगी। ”।

43. उक्त नियमों में, नियम 191 के बाद, निम्नलिखित नियम को रखा जायेगा, अर्थात् :—

“191. क. दण्ड करवाई। धारा 24 (2).—इन नियमों का उल्लंघन कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या सोसाइटी या ट्रस्ट या फर्म या कम्पनी द्वारा किया गया कोई कार्य इन नियमों के अधीन अपराध के रूप में माना जाएगा तथा सुसंगत विधि के अधीन दण्डनीय होगा। ”।

44. उक्त नियमों में, नियम 193 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“193. क. व्याख्या.—यदि इन नियमों की व्याख्या के सम्बंध में कोई प्रश्न या संदेह उत्पन्न होता है तो सरकार इस पर निर्णय लेगी। ”।

45. उक्त नियमों में, अनुबन्ध (क) में, के क्रम संख्या 6 के सामने खाना 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

### कॉलम 3

- (i) एक वैकल्पिक/इलेक्टिव विषय के रूप में अंग्रेजी सहित बी०ए०/बी०एस०सी० ;
- (ii) हरियाणा शिक्षा विभाग से दो वर्ष का जूनियर बेसिक प्रशिक्षण कोर्स या शिक्षा में डिप्लोमा पास किया हो या बारह वर्ष की आयु तक के बालक मनोविज्ञान तथा आचरण में विशेष प्रशिक्षण सहित हरियाणा सरकार से इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त ;
- (iii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान।

**टिप्पण :** (i) अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जायेगा जो मेवात क्षेत्र के लिये यूनिवर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों के पदों के लिये मिडल स्तर तक उर्दू का ज्ञान रखते हों। ऐसा उम्मीदवार, यदि चयनित हो जाता है, केवल मेवात क्षेत्र में कार्य करेगा।

- (ii) हरियाणा शिक्षा विभाग से भिन्न किसी राज्य, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया व्यवसायिक प्रशिक्षण डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र केवल तभी मान्यताप्राप्त होगा, यदि इस डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो। ”।

आर० एस० गुजराल,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EDUCATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 19th January, 2007

**No.S.O.3/H.A. 12/1999/S.24/2007** - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from 1st April, 2007.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 2, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ce) ‘appropriate authority’ means the authority declared by the central/state Government under any law for the time being in force to register or issue a certificate for particular purpose;”.

3. In the said rules, for the words “Director Primary Education” and “District Primary Education Officer”, wherever occurring, the words and signs, “Director Elementary Education” and “Additional District Education Officer”, as the case may be, shall respectively be substituted.

4. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

**“3 Regulation of education in schools. sections 3 and 24(2) (a)—**  
(1) No school in the State can function, establish or start classes without the prior approval or permission of the Director. Every school established by any individual or association of individuals or firm or society or trust or company, shall follow the norms specified under these rules. Any act or disobedience on the part of the school managing committee contrary to the provisions of these rules shall make it liable,—

(i) to discontinue the functioning of such schools;

(ii) to be prosecuted under the relevant law if such disobedience or act causes or tends to cause danger to the life, health, and safety of the students;

(iii) for the imposition of penalty not exceeding Rs.15000 in the case of primary schools, Rs.20,000 in the case of middle schools and Rs.25,000 in the case of secondary and senior secondary school for each such violation.

(2) Before taking any such action under sub-rule (1), a fifteen days notice shall be given to the managing committee to explain their position regarding the

aforesaid notice. On receipt of reply and after giving a personal hearing, if required, Director shall be competent to take any of the action against the managing committee under these rules."

5. In the said rules, in rule 4, in clause (a), after sub-clause (v), the following sub-clauses shall be added, namely:—

- "(vi) Boys school, that is to say, a school in which admission is open to boys;
- (vii) Girls school, that is to say, a school in which only girls are admitted;
- (viii) Co-educational school, that is to say, a school in which boys and girls can be admitted without any distinction and follow the same courses of study."

6. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5 Medium of instructions. sections 3 and 24 (2) (a)— Hindi shall be the preferred medium of instructions in all schools. However the institution shall be at liberty to adopt other medium of instruction under intimation to the appropriate authority."

7. In the said rules, in rule 29,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every individual or association of individuals or firm or society registered under Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or trust created under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall apply to the appropriate authority in Form-I alongwith demand draft of Rs.1,000/- for primary school, Rs.2,500/- for middle school, Rs.5,000/- for high school and Rs.10,000/- for senior secondary school as processing fee in favour of Director expressing their intention to establish such school.";

(ii) in sub-rule (2), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) the proposed salary of the staff to be notified. The salary so notified shall not be less than minimum wage policy of the state, if notified by Labour Department for the classes covered under minimum Wages Act, and for teaching staff any minimum salary standards specified by Education Department/ Deputy Commissioner;"

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(4) The permission granted to establish a new school shall be effective from the date decided upon by the appropriate authority and ordinarily it shall be granted from the date of



commencement of next academic session. The permission shall be valid for two academic sessions only.”

8. In the said rules, in rule 30,—

I. in sub rule (1)—

(A) in clause (a)—

(i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(i) the school is run by an individual or association of individuals or firm or society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or trust created under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and is managed in accordance with a scheme of management made under these rules alongwith a certificate of appropriate authority regarding area of operation in the State of Haryana;

(ii) for sub-clause (x), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(x) that the managing committee has submitted the owner's deed of the land - school building as well as play ground in the name of individual or association of individuals or society or firm or trust or company from the Revenue Department. In case the land is more than one patch, the sizera of land duly countersigned by the Tehsildar or Sub Divisional Magistrate concerned that the patches of land are adjacent to each other, if not at one place the distance between the buildings/patches be specified;

(iii) for sub-clause (xix), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(xix) that the sanitary arrangements at the school are adequate and are kept in good order. A hygienic certificate shall be obtained from Chief Medical Officer/Local Medical Authority;

(iv) in clause (xxvii), for sign “. ” existing at the end, the sign “ ; ” shall be substituted;

(v) after sub-clause (xxvii), the following sub-clause shall be added, namely:—

“(xxviii) that the school shall not be in operation from residential buildings or building not ear-marked for school in the State of Haryana;

(xxix) that a fire certificate shall be obtained from local fire authority;

(xxx) that schools shall provide atleast one computer with modem and internet connectivity.”;

(B) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Minimum norms for land and buildings,—

(i) Land

| School           | Rural/Urban/ Controlled areas |
|------------------|-------------------------------|
| Primary          | 0.5 Acre                      |
| Middle           | 1.0 Acre                      |
| Secondary        | 2.0 Acre                      |
| Senior Secondary | 2.0 Acre                      |

Provided that the norms of land for the schools running recognized/unrecognized before commencement of Haryana School Education Rules, 2003, shall be as under:-

| School                         | Rural/Urban/ Controlled areas (for single storey building) | Rural/Urban/ Controlled areas (for double storey building) |
|--------------------------------|--|--|
| Primary                        | 500 Square meters  | 350 Square meters  |
| Middle                         | 800 Square meters  | 600 Square meters  |
| Secondary                      | 2000 Square meters   | 1500 Square meters   |
| Senior Secondary               |  |  |
| (i) Arts and Commerce.         | 3000 Square meters   | 2250 Square meters   |
| (ii) Arts/Commerce and Science | 4000 Square meters   | 3000 Square meters   |

In addition to above, these schools shall provide or make arrangement for adequate play ground within the radius of 500 meter according to the number of students.

The covered area and open area shall be in the ratio of 35/65%:

Provided further that the schools mentioned in the first proviso shall continue upto the stage according to these norms, but if they desire to add or start higher classes or up-grade the school or change of building or change of name, they shall have to fulfill and to provide land and building as per norms required for the establishment of new school.

Note: - A private school can be run in a rented building/land on lease hold basis with a minimum period of twenty years irrevocable lease deed provided such school fulfills the norms of land and building as specified under these rules;

**(ii) Building -**

- (a) classroom: Minimum size - 24' x 18' or equivalent area. Height of classroom shall be atleast 10 feet:

Provided that the school running as recognized/unrecognized before the commencement of the Haryana School Education Rules, 2003, the minimum size of classroom shall be fixed keeping in view the per square feet gross area/requirement per student;

- (b) number of classrooms shall be equal to the number of sections in the school. The classroom shall have two doors, requisite number of windows and proper ventilation;
- (c) number of students in a section shall not be more than fifty. It is further subject to the condition that number of students in the classroom shall not be more than the students calculated on the basis of 10 square feet per student for secondary and senior secondary schools and 9 square feet per student for elementary stage/nursery stage;
- (d) veranda

There shall be veranda with every class room:  
8 feet in width for single loaded;  
10 feet in width for double loaded;

Provided that the school running as recognized/ unrecognized before commencement of the Haryana School Education Rules, 2003, the norms for veranda shall be as under:-

6 feet in width for single loaded;  
8 feet in width for double loaded;

- (e) the school shall provide the following facilities:—
- Toilet and urinals (staff, boys and separate for girls at a far off distance). Additional toilet to be added after every 200 students
  - Electricity facility
  - Drinking water facility

- Boundary wall
- Proper space for morning assembly
- (f) in case of middle, high and senior secondary school, the following rooms in addition to class-rooms shall be provided:-
  - Room for head of the school
  - Office room
  - Staff room
  - Library room
  - Laboratory for practical subject (according to the stream/each subject)
  - One room for Computer Laboratory. The school shall have atleast one computer with modem and internet connectivity for official and school management purpose;
- (g) every school shall provide ramp at plinth level.
- (h) the school building having more than one storey shall provide one ramp and one staircase of atleast 6' width:

Provided that the school running before commencement of the Haryana School Education Rules, 2003, the norms for stairs and ramp shall be as under:—

- Stair : 4.6 feet in width additional stairs after distance of 40 feet
- Ramp : 6 feet in width If the school do not provide ramp than they shall arrange the classes of handicapped students at the ground floor.

The appropriate authority shall be competent to relax the size of land and building upto ten percent and also allow minor variations which would otherwise not affect health and safety of students and staff;”;

II. for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) Pledge money atleast equal to six months basic pay of the staff but in no case less than the amount as mentioned below, shall be deposited in the name of Director School Education (by designation), in the shape of fixed deposit or bank guarantee not less than a period of three years:—

| Stage            | Class  | Rs.      |
|------------------|--------|----------|
| Primary          | IV     | 50,000   |
| Middle           | I-VIII | 1,00,000 |
| Secondary        | I-X    | 1,50,000 |
| Senior Secondary | I-XII  | 2,00,000 |

The pledge money shall be utilized in case of non-payment of salary to the staff or to redeem any unforeseen liabilities of the school.”;

III. after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(4) The accounts of the school applied for recognition, shall be audited by the department. The department shall take in consideration the audit observation for the recognition of the school.”.

9. In the said rules, in rule 31,

(i) for sub-rule (1), following shall be substituted, namely:—

“(1) Every private school seeking recognition shall make an application, in Form II, to the appropriate authority alongwith Rs. 1000/- for primary school, Rs. 2500/- for middle school, Rs. 5000/- for high school and Rs. 10000/- for senior secondary school as processing fee in the form of demand draft in favour of Director. The application shall be supported with certificates issued by appropriate authority given below. Such application shall either be delivered to the appropriate authority through any individual or sent to that authority by a registered post acknowledgment due six months before starting of academic session i.e. before 30 September of preceding year. The appropriate authority granting recognition shall inform the managing committee by 30th December of preceding year.

**Appropriate authority to issue certificates.**

| Sr. No. | Item                     | Authority  |
|---------|--------------------------|--|
| 1       | Ownership of Land        | Sub Divisional Magistrate.   |
| 2       | Construction of Building | District town planner/ municipality/registered architect/ empanelled architect |
| 3       | Safety of Building       | Public works Department/ Municipality/ Registered Engineer/empanelled Engineer |
| 4       | Fire Safety              | Fire Officer, authorized agency by Central Government or State Government      |
| 5       | Hygienic                 | Chief Medical Officer, Senior Medical Officer, empanelled Medical Officer      |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 6 | No Objection Certificate regarding land use | Municipal area:  | municipality/municipal council/local authority |
|   |   | Out side municipality area like urban area/controlled area/rural area: | As notified under relevant laws.”;             |

(ii) sub-rule (2), shall be omitted;

(iii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) If recognition is refused, managing committee may file an appeal against it to appellate authority within thirty days from date of communication to it of such refusal alongwith fee of appeal as laid down in rule 192. The appellate authority shall decide the case and inform the managing committee within two months. The decision of the appellate authority shall be final.”.

10. In the said rules, in rule 32,—

(i) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be added, namely:—

“(c) In case a school authority runs more than one institutions, the said authority shall constitute a separate managing committee for each school under these rules.”;

(ii) in sub-rule (2), after clause (b), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that where the number of members is less than fifty the society or firm may send the notice of election atleast fifteen days before the date of election through Under Postal Certificate letters.”.

(iii) in sub-rule (3), after the words “existing schools”, the words and figures “including schools where Administrator has been appointed under section 10” shall be inserted.

(iv) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be added at the end, namely:—

“(5) (i) Where the Administrator has been appointed under section 10, it is the duty of the Administrator to constitute the managing committee before the expiry of the period specified in section 10. The Administrator shall issue notice to the members of the society regarding holding of elections as per provisions laid down in these rules.

(ii) In case, the Administrator fails to constitute a managing committee, he shall send a status report to the Director well before the expiry of the tenure of Administrator. The Director shall take appropriate decision to constitute the managing committee or to continue the Administrator for next one year.

(iii) In no case Administrator shall continue after three years.”.

11. In the said rules, in rule 33,—

(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added at the end, namely:—

“(4) No Objection Certificate (NOC) granted to a school for affiliation with any Board shall be effective from the date decided upon by the appropriate authority and ordinarily NOC shall be granted from the commencement of next academic session. The NOC shall lapse if not utilized within two academic sessions. A fresh NOC is to be obtained by the school from the appropriate authority. NOC shall be applicable only for the stage for which it was granted and in no case be accepted by Affiliating Board for any other stage.”

12. In the said rules, in rule 34,—

(i) in sub-rule (1), against clause I-V and I-VIII, under heading “Appropriate authority”, for the words “District Education Officer” existing twice, the words “Director Elementary Education”, shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) There shall be a committee as constituted by the Director School Education for physical verification of private schools for recognition.”;

(iii) in sub-rule (4), after note 3, the following sub-rule shall be added, namely:—

“(5) The school which has already been recognized for 10+2 stage and intends to commence a new stream of commerce and science, shall apply to the Director in Form-II. There shall be a committee for processing and recommending the case for the commencement of new stream consisting of following members, namely:—

|                                    |   |          |
|------------------------------------|---|----------|
| (i) Joint Director                 | : | Chairmen |
| (ii) District Education Officer    | : | Member   |
| (iii) Member of recognized schools | : | Member   |

The committee shall submit its report within a period of one month after visiting personally in the concerned school.”

13. In the said rules, for rule 38, the following rule shall be substituted, namely:—

“38 Existing recognized schools to apply to the appropriate authority. section 3 and 24(2) (a),(b) and (d).— (1) All existing recognized schools shall be required to submit application in Form II prescribed for recognition alongwith demand draft of Rs. 1,000/- for primary/middle schools and Rs. 2,000/- for high/ senior secondary in favour of Director within a period of three

months from the commencement of these amended rules. Each school shall submit its plan for improving its infrastructure where it does not conform to the provisions of these rules along with application spread over a period of one year where specific milestone shall be fixed for every six months.

- (2) Every existing recognized school or schools which are already affiliated with Boards or Council of Indian School Certificate Examination other than Board of School Education after obtaining 'No Objection Certificate (NOC)' from the Government shall be deemed to have been recognized under section 4 and shall be subject to the provisions of the Act and these rules:

Provided that the norms for size of classrooms and number of classrooms and others requirements of such schools shall be the same as prescribed for unrecognized schools running in the State before the commencement of the Haryana School Education Rules, 2003.

- (3) The Department shall constitute a committee for each District consisting of two members to be selected by the Director from local reputed recognized school of respective District and one nominee of the Department to process such applications."

14. In the said rules, for rule 42, the following rule shall be substituted, namely:—

**"42. Lapse of recognition in other cases. sections 3 and 24 (2) (a) (b) and (d)—** (1) The appropriate authority may withdraw recognition/NOC of a school after giving a written notice, drawing the attention of acts of omission and commission contrary to the Acts/rules or directions issued thereunder to the managing committee either directly or through Principal/ Head of the institution.

- (2) The recognition/NOC of the school shall lapse if the school,—
- (a) ceased to exist; or
  - (b) where the recognition/NOC has not been used within two academic sessions; or
  - (c) without the approval of appropriate authority—
    - (i) transferred to a different building or locality;
    - (ii) transferred to a managing committee or trust or individual or association of individuals or company;
    - (iii) changes its name;
  - (d) where two or more schools running in the same building/ premises affiliated with two different boards/council.
  - (e) has not complied with one or more of the conditions of recognition, specified in these rules.



- (3) Branches opened by the managing committee of a school already recognized shall be treated as new schools for the purpose of recognition i.e. no managing committee is allowed to run two schools affiliated with different Boards/Council in the same building/premises.
- (4) If the school authority fails to satisfy the appropriate authority of the lapse within thirty days from the date of service of such notice the recognition/NOC shall stand lapsed.
- (5) The schools referred to in sub-rule (2)(c) above shall apply to the appropriate authority in an application alongwith documents such as resolution of managing committee, ownership of land, approved plan and an undertaking regarding any consequent liability/dispute.
- (6)(a) There shall be a committee for processing and recommending the case consisting of following members, namely: -
- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| (i) Joint Director school          | Chairman |
| (ii) District Education Officer    | Member   |
| (iii) Member of Recognized schools | Member   |
- (b) The committee shall submit its report within a period of one month and may visit the concerned school and inspect/ call for any record relevant for making recommendations.”.

15. In the said rules, in rule 43,—

- I. in sub-rule (i), after the word “recognition”, wherever occurring, the sign and letters “/NOC”, shall be added;
- II. in sub-rule (1), in clause (b), in the fourth line, after the words “appropriate authority”, the words and sign “or moral turpitude etc.,” shall be inserted;
- III. in sub-rules (2) and (3), after the word recognition, the sign and letters “/NOC” shall be added;
- IV. in sub-rule (4)—
- (i) after the word “recognition”, the sign and letters “/NOC” shall be added;
- (ii) the words, signs and figures “The appeal fee shall be attached in the form of bank draft in favour of Director, as laid down in rule 192,” shall be added at the end.

16. In rule 44, after the word recognition, the sign and letters “/NOC” shall be added.

17. In the said rules, in rule 45,—

- (i) in sub-rule (1), after the word “recognition”, the sign and letters “/NOC” shall be added;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(2) Every such appeal shall be made in writing and shall be accompanied by a copy of the reasons for the refusal to establish a new school or to accord recognition/NOC or withdrawal of recognition/NOC, within a period of thirty days from the date of receipt of such communication. The appeal fee shall be attached in form of bank draft in favour of Director as laid down in rule 192.”

(iii) in sub-rule (3), after the word “recognition”, the sign and letters “/ NOC” shall be added.

18. In the said rules, in rule 55, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The grant shall be sanctioned and issued preferably in four installments on actual basis. The first installment shall be issued provisionally on the basis of the actual grant released in the previous year. The grant shall be paid by the concerned branch dealing with the matters of aided schools by cheque quarterly in favour of ‘School Staff Account’ jointly operated by authorized officer of the Director and the representative of the approved managing committee of the concerned school after verifying the claims of payment to the beneficiary school.

(5) The existing system to claim Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) through salary grant shall be discontinued. The managing committee shall pay the DCRG to the beneficiary within a period of one month from the date of receipt of sanction from the Director. The managing committee shall submit its claim (75% Government Share) in the same year. The Director shall reimburse the claim to the managing committee in the next quarter of the year from the receipt of claim.”

19. In the said-rules, for rule 59, the following rule shall be substituted, namely:—

“59. **No grant of teachers of uneconomically small class. sections 24(2)(a),(b) and (c).**— (1) No grant shall be admissible to the managing committee for the teachers found surplus by the inspecting officer on the basis of student teacher ratio below the norms as fixed by the Department from time to time, after giving reasonable opportunity to the managing committee.

(2) Rationalization of posts shall be done after every five years.

(3) The Director shall be competent to transfer the surplus post to another school as per requirement in the same district or outside district in the State.”

20. In the said rules, in rule 62, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) After observing the conditions as laid down in sub-rule (2) the managing committee shall move an application with the

proposal of setting up of claims of the employees working in the school for de-aiding its school to the Director. The Director shall pass order of de-aiding the school after verifying the application as per rule. If the decision is not conveyed by the Director to the managing committee within a period of six months, it shall be deemed to have been de-aided. The grant-in-aid of the school shall be ceased from the date of application or any date specified by the managing committee.

21. In the said rules, in rule 64, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) The ‘school staff’s account’ shall be operated jointly by authorized officer of the Director and the manager or head of the school or in his absence by a member of the staff authorized by managing committee to act as head of the school. The managing committee of the school shall not be competent to cease the ‘staff salary account.’

22. In the said rules, after rule 74, the following rule shall be inserted, namely:—

“74 A. **Ex-post-facto approval.** sections 24 (2) and 8.— The Director shall be competent to grant ex-post-facto approval or relaxation in the procedure of recruitment.”.

23. In the said rules, for rule 75, the following shall be substituted, namely:—

“75. **Intimation to appropriate authority.** sections 24 (2) and 8.— As and when a vacancy of the head of school or a teacher arises due to dismissal or any other reason thereof and managing committee advertises to fill that vacancy, intimation to this effect shall also be given to the appropriate authority. The managing committee may give first preference in the selection to the employees working in the school on unsanctioned post where the procedure of selection has already been adopted under the rules.”.

24. In the said rules, for rule 82, the following rule shall be substituted, namely:—

“82. **Minimum qualifications.** sections 24 (2) and 8.— (1) The minimum qualification for appointment of head of school and other categories of teachers and also non teaching staff in an aided school shall be as per Appendix A. These appointments shall be made by advertising at least in two leading newspapers (Hindi and English).

(2) The managing committee may appoint a person having higher qualification than prescribed for the post. The department shall only pay the salary grant for the scale of the post as specified in column 4 of Appendix A to these

rules. Additional payment, if any, on account of higher qualifications shall be borne by the managing committee of aided schools at their own."

25. In the said rules, in rule 83, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The rate of dearness allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance payable to these employees shall be such as may be allowed by the department from time to time to the aided schools."

26. In the said rules, in rule 93, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) No teacher shall undertake private tuition or private employment."

27. In the said rules, in rule 103, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) where a teacher, head of the school has obtained National or State award for rendering meritorious service as a teacher, head of the school or where he has received the National or State awards, the period of service of such teacher, may be extended by two years or such period as per State policy. In no case an employee shall go beyond sixty years. No employee shall be entitled to promotion during such extension period. The managing committee shall forward the case to the Director for such extension with the specific resolution. The Director is competent to grant such extension."

28. In the said rules, in rule 105, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(6) Resignation of employee under suspension shall not be accepted before taking final decision of suspension."

29. In the said rules, after rule 108, the following rule shall be inserted, namely:—

**"108 A. Compulsory retirement. sections 8 and 24.—** (1) If managing committee is of the opinion that it is in public interest to retire an employee for the reasons to be recorded in writing, it shall have the right by giving the employee concerned, a prior notice, in writing, of not less than three months, to retire him on the date on which he completes twenty years of qualifying service or on any other dates thereafter to be specified in the notice.

(2) If the retirement of the employee made under sub rule(1) is set aside by a court of law, all pecuniary liabilities consequent thereto from the date of compulsory retirement upto the date of his rejoining the post, shall devolve on the managing committee."

30. In the said rules, in rule 110, in clause (d), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) on receipt of the representation, if any, made by the employee, determine what penalty, if any, shall be imposed on him before communicate its final decision to him it shall be referred to the

appropriate authority for approval. The appropriate authority shall convey the approval/disapproval to the managing committee within thirty days. If no decision is taken within such period, it shall be treated as approved. The managing committee thereafter communicates its final decision to the employee with a copy to the appropriate authority.”

31. In the said rules, in rule 111,—

- (i) in the marginal heading, the word “proposed” shall be omitted;
- (ii) after clause (f), the following clauses shall be added at the end, namely:—

“(g) The appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. Where an appeal is preferred under clause (a) and (d), the first/second appellate authority, as the case may be, may stay the enforcement of the relevant order for such period and on such conditions, as it deems fit.

(h) The Director may himself or on an application made by the aggrieved party review its own decision, if he considers that some points of facts were left from his view or ignorance of any material fact or any error apparent on the face of the record and pass fresh order as he deems fit.”

32. In the said rules, in rule 114,—

- (i) for sign “. “ existing at the end, the sign “ ; “ shall be substituted;
- (ii) the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the employee/retiree who has not availed of the option till now, may give fresh option to deposit the subscription to fund alongwith interest at the prevailing rate as worked out by Director within 90 days from the date of commencement of these rules.”

33. In the said rules, for rule 126, the following rule shall be substituted, namely:—

“126. Power to take over the managing committee of aided school. sections 24(2) and 10.— Where the managing committee of the aided school is taken over in accordance with the provisions of section 10, the grant-in-aid in respect of salary, gratuity, pension etc. (Government share only) shall be made through the Administrator. The Administrator shall operate ‘staff salary account’ as referred to in rule 64. The Administrator shall submit his demand to the Director for the payment of salary in advance. The advance shall be adjusted/recouped through salary grant payable to the school. Liability of the salary to the staff (Government share) shall be from the date of taking over the management of school under section 10. As it is a stop gap arrangement for the smooth running and functioning of the school, therefore, the responsibility to pay salary to the staff is restricted to the extent of 75% (Government share) of salary. The remaining 25% (management share) shall be paid by the managing committee on its reconstitution:

Provided that the Administrator shall take the charge of school building and its premises from the managing committee and all the income from such building or its premises shall be taken as income of the said school.”

34. In the said rules, in rule 128, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The managing committee of a minority school desired to open a minority school under this category shall apply to Director alongwith certificate of minority community issued by appropriate authority of the State. The Director shall decide whether it falls within that minority category and shall pass orders as he deems fit.”.

35. In the said rules, in rule 131,—

(i) in sub rule (2), for sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the Director shall be competent for relaxation in the maximum age of admission.”

36. In the said rules, after rule 134, the following rule shall be added, namely:—

**“134A. Reservation for poor meritorious students. sections 24(2) and 15.—** The recognized private schools shall reserve 25% seats for meritorious poor students. The school shall charge fee from these students at the rate as charged in Government schools. The deficit of difference of fee shall be charged from the other students of the school.”

37. In the said rules, in rule 136,—

(i) in sub rule (5), for sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the students studying in an unrecognized school running before the commencement of these rules may be admitted to the recognized schools on the basis of test during the academic session 2007-08.”.

38. In the said rules, in rule 138,

(i) in sub rule (2), for sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the Director shall be competent for relaxation of admission in exceptional circumstances.”.

39. In the said rules, in rule 158, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be added at the end, namely:—

- “(4) No school shall be allowed to charge admission fee, tuition fee, pupil’s fund in advance before the commencement of the academic session. However a token registration fee can be charged.
- (5) No admission fee, tuition fee except school leaving certificate (SLC) fee be charged from the pupil who apply for SLC within 15 days of start of new academic session.
- (6) Admission fee shall only be charged from a student at the time of admission in class 1st, 6th, 9th and 11th or fresh entry in the school.
- (7) The fees shall preferably be taken from the students through bank.”.

40. In the said rules, in rule 159, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

“4. In case of any complaint regarding overcharging or misappropriation of funds by the managing committee, the Director shall competent to check the accounts of that school and take appropriate action in this regard.”.

41. In the said rules, for rule 160, the following shall be substituted, namely:—

“160. Pupils fund share. sections 24 (2) and 17— The recognized school shall not charge any fund from students except Red Cross Fund, Child Welfare Fund and Sports Fund as per instruction issued by the department from time to time. These funds shall be collected and specified share shall be deposited with the concerned District Education Officer/Additional District Education Officer before 30th September every year.”.

42. In the said rules, for rule 162 to 185 the following rule shall be substituted, namely:-

“162. Service conditions.— (I) Every managing committee of recognized school *i.e.* running under self finance scheme shall frame the rules and regulations of their employees in relation to:—

- (i) Service conditions of the employees;
- (ii) Recruitment procedure;
- (iii) Salary to the teachers (not less than minimum wage policy of the state);
- (iv) Service Benefits *i.e.* Contributory Provident Fund, Medical, Leave, Increments etc.;
- (v) Qualifications of teaching and non teaching (not less than prescribed under Appendix-A to these rule);

- (vi) Code of conduct and penalties;
- (vii) Constitution of disciplinary committee etc.;
- (viii) The school authority shall pay the salary to the staff through Cheque/Bank.

(2) The copies of rules and regulations referred to in sub-rule (I) shall be supplied to the Department at the time of application for recognition.”

43. In the said rules, after rule 191, the following rule shall be inserted, namely:—

“191.A. Penal action.— Any act done by any individual or association of individuals or society or trust or firm or company in contravention of these rules, shall be treated as an offence under these rules and shall be punishable under relevant laws.”

44. In the said rules, after rule 193, the following rules shall be inserted, namely:—

“193 A. Interpretation.- If any question or doubt arises as to the interpretation of these rules, Government shall decide the same.”

45. In the said rules, in Appendix-A against serial number 6 under column 3 in the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

**Column 3**

- “(i) B.A/B.Sc. with English as one of the optional/elective subjects;
- (ii) Passed two years Junior Basic Training Course or Diploma-in-Education from Haryana Education Department or its equivalent recognized by the Haryana Government with special training in child psychology and behavior of child upto the age of twelve years.
- (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

**Note:** (i) Preference shall be given to candidates who possess knowledge of Urdu upto Middle Standard for posts of Junior Basic Trained Teachers for Mewat area. Such candidate, if selected, shall serve only in Mewat area.

- (ii) Professional Training Diploma or Certificate awarded by any State, Board or University other than Haryana Education Department shall be recognized only if this degree or diploma or certificate has been recognized by the Haryana Government.”

R. S. GUJRAL  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government, Haryana,  
Education Department.